


आप्रविष्ट आपुक्त उच्च शिक्षा वि. प्र. शासन
अधिनियमों और ग्रन्थालय संस्थाओं से अन्तर्भूत शाखा।
ई-2/34, महाराष्ट्र नगर, भोपाल



ग्रन्थालय

महाविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधान 26॥१॥ के अन्तर्गत
प्राचार्य . शास्त्रीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय बाटन, दुर्ग

रा. पत्र नं. ९७। . . दिनांक . . ६. १. ९७ . . इस विभाग को
महाविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26॥१॥ के अन्तर्गत महाविद्यालय में सत्र
सम से आसन्नों महाविद्यालय में निम्ननियमित आन्तरिक्षता विधाओं को कक्षाएँ प्राप्त
जाने के लिए आवेदन पत्र देखित छिपा।

प्र. : एम. ए. श्री राजनीति शास्त्र संबंधी : १९९७-९८
तमाज शास्त्र

उक्त आवेदन पत्र पर लिखा गया है कि उपरान्त इह विभाग लंतुण्ठ है कि वि. वि.
विद्या परिषद के प्रावधान 26॥१॥ के अन्तर्गत अनुचानित दो जारी कि वड महाविद्यालय के आवेदन पर
तार लाए।

आत: इह विभाग यह प्रमाण-पत्र प्राचार्य
विद्यालय को प्रदान करता है, जिसे कि वह विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा
१॥१॥ के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन लाए।

दृष्टि

अतिरिक्त संबालक
वास्ते आपुक्त उच्च शिक्षा वि. प्र.
भोपाल.

प्रमाण-पत्र/अनु. अधि. / ७६९३

दिनांक १५-१२-९७

लेखि:-

प्राचार्य/ . शा. महावि. पाटन, जिला दुर्ग एम.प्र.।

जो सूचनार्थ एवं आवायक कार्यालयों हेतु।

कुलपति . पं. रविशंकर शुक्ल बि.बि.रामसुर . . जो सूचनार्थ एवं धारा 24॥१॥
के अन्तर्गत यीप्रे प्रतिवेदन हेतु।

परिवर्ति, एम.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग जो ओर उनके संदर्भ क्र. के
अनुसार आवायक कार्यालयी एवं सूचनार्थ।

८८-१९-१२५/३८-२१९)

८८-१९-१२५/३८-२१९)

कि: इह प्रमाण-पत्र किसी संस्था को नया विषय प्राप्ति कक्षाएँ प्राप्ति
हरने के लिये अधिकृत नहीं करता, जब तक कि विश्वविद्यालय/वि. वि.

भारतीय 1973 की धारा 24॥१॥ के अन्तर्गत संबंधित प्रदान नहीं करता।

S. M. Sharma १२.१२.९७

अतिरिक्त संबालक

वास्ते आपुक्त उच्च शिक्षा

भोपाल.

नानी//

१९७//